मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 6-1/2025 /नियम/चार   भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर,2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 को प्रवृत्त किये जाने विषयक ।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 तथा उक्त से संबंधित जारी सभी संशोधनों को अतिष्ठित करते हुये, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 दिनांक 01 जनवरी 2026 से प्रवृत्त किये जाते हैं।

2/ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि-

i. दिनांक 31 दिसम्बर 2025 या इसके पूर्व के अवकाश के लिये प्रस्तुत आवेदनों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 प्रभावशील होंगे एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2025 के पश्चात के अवकाश के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 प्रभावशील होंगे।

ii. दिनांक 31 दिसम्बर 2025 या इसके पूर्व एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2025 के पश्चात की निरंतर अवकाश अवधि के लिये प्रस्तुत आवेदनों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 प्रभावशील होंगे।

iii. दिनांक 31 दिसम्बंर 2025 के पश्चात के अवकाश की स्वीकृति यदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के आधार पर दी गयी है, तो उसे निरस्त किया जाकर वांछित कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के आधार पर की जाये।

iv. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2025 में किया गया है जो कि वर्तमान में govtpressmp.nic.in एवं finance.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3/ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अंग्रेजी संस्करण (English Version) का प्रकाशन भी यथाशीघ्र किया जा रहा है। नियमों के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने पर हिन्दी संस्करण मान्य किया जायेगा।

4/ अवकाश नियम, 2025 की प्रभावशीलता से संबंधित उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों से अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करावें।

5/ यह परिपत्र मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 10 दिनांक 19 अगस्त, 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. एफ 6-1/2025 /नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर,2025

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव/विशेष सहायक, मान. उपमुख्यमंत्री जी, वित्त मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
7. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
9. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग